अनुबंध II

कुछ लेखा मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन

1. लेखांकन मानक 9 – राजस्व मान्यता

एआईएफआई के द्वारा आरबीआई के विनियामकीय उपायों के अनुपालन में, अनर्जक अग्रिमों और अनर्जक निवेशों के मामले में, आय निर्धारण न करने से सांविधिक लेखा परीक्षकों की अर्हता आकर्षित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह मानक के प्रावधानों के अनुरूप होगा, क्योंकि जहां राजस्व की संग्रहणीयता काफी अनिश्चित है वहां यह राजस्व के निर्धारण के स्थगन को मान्यता देता है। उक्त मानक में आय निर्धारण के संबंध में आय की कोई मद महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी, यदि वह एआईएफआई की कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है, यदि आय को एकल आधार पर गिना जाता है, अथवा निवल लाभ (कराधान पूर्व) का एक प्रतिशत, यदि आय को लागत से निवल आधार पर गिना जाता है। यदि उपर्युक्त मानदंडो के आधार पर आय की किसी मद को महत्वपूर्ण नहीं माना गया हो, तो इसे प्राप्ति के समय मान्यता दी जाए।

2. लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों (एसोसिएट्स) में निवेश के लिए लेखांकन

यह लेखा मानक में समेकित वित्तीय विवरणों में एक समूह के परिचालन परिणाम और वित्तीय स्थिति पर सहयोगी कंपनी में किये गये निवेश के प्रभाव की पहचान करने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। मानक की अपेक्षानुसार किसी सहयोगी कंपनी में निवेश कुछ अपवादों के तहत इक्विटी विधि के अधीन समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकित किया जाएगा। सहयोगी को ऐसे उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है और वह न तो सहायक कंपनी है न ही निवेशक का संयुक्त उद्यम है। महत्वपूर्ण प्रभाव से तात्पर्य है कि निवेशिती के वित्तीय और/ या परिचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है परन्तु उन नीतियों पर नियंत्रण नहीं है। ऐसा प्रभाव शेयर स्वामित्व, संविधि या करार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक शेयर स्वामित्व का संबंध है, यदि एक निवेशक अनुषंगियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेशिती की 20 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान की शक्ति हासिल करता हो तो यह माना जाता है कि निवेशक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए कि मामला ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, यदि कोई निवेशक अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेशिती की मताधिकार शक्तियों के 20 % से कम धारण करता है तो यह माना जाता है कि निवेशक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रखता है, जब तक कि ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न किया जाए। किसी अन्य निवेशक द्वारा पर्याप्त और बहुमत वाले स्वामित्व से किसी निवेशक को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने में बाधा पहुँचे, यह आवश्यक नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या किसी उद्यम में एआईएफआई के द्वारा ऋण के इक्विटी में संपरिवर्तन, जिसके कारण एआईएफाई

20 प्रतिशत से अधिक धारण करता है, के परिणामस्वरूप एएस 23 के प्रयोजन से निवेशक-एसोसिएट संबंध में परिवर्तित हो पाएगा या नहीं।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि एआईएफआई ऋण लेने वाले निकाय में अपने अग्रिमों की भरपाई के लिए 20 प्रतिशत से अधिक मतदान की शक्ति प्राप्त कर सकता है, फिर भी वह यह प्रदर्शित कर सकता है उसके पास महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा प्रयुक्त अधिकारों की अपनी प्रकृति संरक्षणात्मक है, न कि सहभागिता वाली। ऐसी परिस्थिति में, इस लेखा मानक के तहत ऐसा निवेश सहयोगी कंपनी में किया गया निवेश नहीं समझा जाए। अतः परीक्षण केवल निवेश के अनुपात का ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त करने की मंशा का भी होगा।

3. एएस 27 - संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग

यह मानक संयुक्त उद्यमों में ब्याज के लेखांकन के लिए और उस संरचना या प्रारूप जिसके तहत संयुक्त उद्यम की गतिविधियां की जाती हैं, पर ध्यान दिये बिना उद्यम और निवेशक के वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की रिपोर्टिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह मानक मोटे तौर पर तीन प्रकार के संयुक्त उद्यमों की पहचान करता है, नामतः - संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन वाले, संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों वाले तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों वाले। संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों वाले उद्यम के मामले में, जहां एआईएफआई को इस मानक के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त उद्यमों में किये गये निवेश को समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकित करके प्रस्तुत करना अपेक्षित है, संयुक्त उद्यमों के निवेशों का लेखांकन इस मानक के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालनों और संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों वाले संयुक्त उद्यमों के संबंध में यह लेखांकन मानक एकल वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण, दोनों के लिए लागू है।

4. एएस 26 – अमूर्त आस्तियां

यह मानक अमूर्त आस्तियों के लिए लेखांकन ट्रीटमेंट का निर्धारण करता है, जो विनिर्दिष्ट रूप से किसी अन्य लेखांकन मानक के तहत नहीं आते हैं। उन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, जो कि एआईएफआई के उपयोग हेतु अनुकूलित है और कुछ समय के लिए उपयोग में होने की उम्मीद है, मानक में निर्धारित कंप्यूटर सॉफ्यवेयर के संबंध में विस्तृत मान्यता तथा परिशोधन सिद्धांत, इन सभी मुद्दों का निवारण करते हैं और एआईएफआई के द्वारा इसका अनुपालन किया जाए।

5. एएस 28 - आस्तियों की क्षति

इस मानक में उन प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिसका प्रयोग एक उद्यम यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि उसकी आस्तियां वसूली योग्य राशि से अधिक पर

नहीं रखी गई हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मानक निवेशों , इन्वेंट्रियों और वित्तीय आस्तियों, जैसे ऋणों एवं अग्रिमों के लिए लागू नहीं होगा और यह मानक सामान्यतः वित्तीय लीज, आस्तियों तथा दावों के निपटान में अधिग्रहित आस्तियों पर तब लागू होगा, जब इकाई को होने वाली क्षति के संकेत स्पष्ट हों।

6. एएस 11 – विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव[18]

एएस 11 विदेशी मुद्रा में लेनदेनों के लिए लेखांकन के संदर्भ में और विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण में लागू होता है। इस संदर्भ में उत्पन्न समस्याओं की पहचान की गयी है, तथा एआईएफ़आई को इस मानक के प्रावधानों का अनुपालन करते समय निम्नलिखित से मार्गदर्शन लेना होगाः

(I) एकीकृत और गैर – एकीकृत विदेशी परिचालनों का वर्गीकरण

एएस 11 के पैरा 17 में यह कहा गया है कि विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण को रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त उसके वित्तपोषण के लिए अपनाए गए तरीके पर निर्भर करेगी तथा रिपोर्ट इस प्रयोजन से विदेशी परिचालन को "एकीकृत विदेशी परिचालनों" या "गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण इस मानक के अनुपालन के सीमित उद्देश्य के लिए है।

(II) विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने और गैर एकीकृत विदेशी मुद्रा परिचालन के रूपांतरण के लिए विनिमय दर.

(क) मानक का पैरा 10 व्यावहारिक कारणों से उस दर के प्रयोग की अनुमति देता है, जो लेनदेन की तारीख को वास्तविक दर के लगभग है। मानक में यह भी उल्लेख है कि यदि विनिमय दर में काफी उतार-चढ़ाव हो तो एक अवधि के लिए औसत दर का प्रयोग भरोसेमंद नहीं है। चूँकि उद्यमों से अपेक्षित है कि लेनदेनों को घटना की तिथि को ही रिकॉर्ड करें, तो पूर्ववर्ती सप्ताह के साप्ताहिक औसत बंद दर का प्रयोग संबंधित सप्ताह में हुए लेनदेनों के रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है, यदि यह लेनदेन की तारीख के वास्तविक दर के समीप हो। लेनदेनों की तिथि को विनिमय दरों को लागू करने में व्यवहारिक कठिनाइयों के मद्देनजर और चूँकि मानक लेनदेन की तारीख को वास्तविक दर के लगभग दर के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है, इसलिए एआईएफआई नीचे दिए गये ब्योरे के अनुसार औसत दर का प्रयोग कर सकते हैं:

(ख) एफईडीएआई विभिन्न मुद्राओं के लिए प्रत्येक सप्ताह के अंत में एक साप्ताहिक औसत बंद दर और प्रत्येक तिमाही के अंत में एक तिमाही औसत बंद दर प्रकाशित करता है।

---

[18] वर्तमान में, एएस 11 केवल एक्ज़िम बैंक पर लागू है।

(ग) वे विदेशी मुद्रा लेनदेन, जिन्हें वर्तमान में लेन-देन की तारीख में भारतीय रुपए में दर्ज नहीं किया जा रहा हो या एक सांकेतिक विनिमय दर का उपयोग कर दर्ज किया जा रहा हो, को अब लेनदेन की तारीख में एफईडीएआई द्वारा प्रकाशित पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसत अंतिम बंद दर का प्रयोग कर रिकॉर्ड किया जाए, यदि यह लेनदेन की तारीख के वास्तविक दर के लगभग हो।

(घ) एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित तिमाही औसत बंद दर का प्रयोग, तिमाही के दौरान गैर एकीकृत विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों के परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ङ) यदि पिछले हफ्ते की साप्ताहिक औसत बंद दर लेनदेन की तारीख को वास्तविक दर के लगभग न हो, तो लेन-देन की तारीख की बंद दर का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोजन से पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसत बंद दर को लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के लगभग नहीं माना जाएगा यदि (1क) पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसत बंद दर और (1ख) लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर में (1ख) के साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक का अंतर हो। गैर एकीकृत विदेशी परिचालनों के संदर्भ में तिमाही के दौरान यदि विनिमय दर में काफी उतार-चढ़ाव हो, तो गैर एकीकृत विदेशी परिचालनों के आय और व्यय मदों का परिवर्तन तिमाही औसत बंद दर के बजाय लेनदेन की तारीख की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। इस प्रयोजन से विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को काफी तब माना जाएगा, यदि दो दरों में अंतर लेनदेन की तारीख को प्रचलित दर के सात प्रतिशत से अधिक होगी।

(च) एआईएफआई को भारतीय शाखाओं / कार्यालयों के साथ ही साथ एकीकृत विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए खुद को लैस करने, और साथ ही, गैर एकीकृत विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों के परिवर्तन के लिए लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(III) अंतिम (बंद) दर

मानक का पैरा 7 'अंतिम दर' को तुलन पत्र तिथि की विनिमय दर के रूप में परिभाषित करता है। एआईएफआई के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, संबंधित लेखांकन अवधि के लिए एएस 11 (संशोधित 2003) के योजन से प्रयोग की जाने वाली अंतिम दर उस लेखांकन अवधि के लिए एफईडीएआई द्वारा घोषित विनिमय की अंतिम स्पॉट दर होगी।

(IV) विदेशी मुद्रा आरक्षित रिज़र्व (एफसीटीआर)

विदेशी शाखा(ओं) से संचित लाभ/प्रतिधारित आय के प्रत्यावर्तन पर एफसीटीआर से लाभ और हानि खाते में लाभ की मान्यता के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि

संचित लाभ के प्रत्यावर्तन को एएस 11 के अनुसार गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों में ब्याज के निपटान अथवा आंशिक निपटान के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार, एआईएफआई विदेशी परिचालनों से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा आरक्षित रिज़र्व में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं देंगे।